

समाहरणालय, मधेपुरा  
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक...../सा0सु0को0,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।  
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा,  
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज।

विषय:-

मधेपुरा, दिनांक...../  
चालू वित्तीय वर्ष-2013-14 में राज्य योजनावर्गित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना  
( विशेष घटक ) में पेंशनधारियों को नगद पेंशन भुगतान हेतु प्रथम किस्त कुल रु0-  
23,99,000=00 (तिइस लाख निनानवे हजार ) रुपये मात्र का उपावंटन।

प्रसंग:-

सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार- पटना के पत्र सं0-01/सा0सु0 बजट-ई0गा0रा0वि0पें0-12/2013-  
स0क0-15 पटना, दिनांक-22/05/2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 में उल्लेखित  
निदेशो एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यदेश सं0-1014 दिनांक-16.05.2013 के आलोक में पेंशनधारियों को प्रथम किस्त  
नगद पेंशन भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के स्तम्भ-4 के अनुसार कुल रु0 23,99,000=00 (तिइस लाख निनानवे हजार )  
रुपये मात्र का उपावटित किया जाता है।

2- उपावटित राशि माँग सं0-51, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-03-राष्ट्रीय सामाजिक  
सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-0102-इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय  
विधवा पेंशन योजना, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड  
संख्या-p-2235037890102 तथा स्कीम कोड-WEL-5500 से विकलनीय होगा।

3- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे उपावटित राशि कोषागार से निकासी कर शिविर के माध्यम से  
पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

4- जिस मद में राशि उपावटित की गई है उसे उसी मद में व्यय किया जायगा।

5- उपावटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निश्चित रूप से उपलब्ध  
करायी जाय।

6- उपावटित राशि का विवरणी संलग्न है।  
उपर्युक्त निदेशो का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक 2762 /सा0सु0को0, मधेपुरा, दिनांक 28/6/13 /

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा।

वित्तीय वर्ष-2013-14 में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (विशेष घटक) के तहत पेंशन भुगतान हेतु सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (31 06) मद में प्रखण्डवार/निकायवार उपावंटन तालिका:-

क्र०	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पेंशनधारियों की संख्या	उपावंटित राशि
1	2	3	4
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	116	104400
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	140	126000
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	37	22200
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धैलाढ़	143	128700
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	145	130500
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	273	245700
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	94	56400
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	487	440300
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	204	183600
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	159	143100
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	519	467100
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा	139	125100
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	65	58500
14	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा	145	130500
15	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज	41	36900
	कुल योग :-	2707	2399000

मो० (तेइस लाख नानानवे हजार) रुपये मात्र।

276-2  
28/6/13

  
जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा।